पत्र सं0— /XXVIII—5—2018/20/2008

प्रेषक,

गरिमा रौंकली,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग—5 देहरादून दिनांक 29 जनवरी,2018

विषयः—जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत राज्य खाद्य एवं विश्लेषणशाला,रूद्रपुर के आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु अवशेष देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र संख्या—2016—17/7811 दिनांक—22 अगस्त,2016 तथा शासनादेश संख्या—129/XXVIII—5—2008—20/2008 दिनांक—24.03.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत राज्य खाद्य एवं विश्लेषणशाला,रूद्रपुर के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आंगणन की अनुमोदित लागत ₹195.73 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर अवशेष देयता की धनराशि **₹33.03 लाख (रूपया तैतीस लाख तीन हजार मात्र)** आपके निर्वतन पर रखते हुये उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

2—किसी भी शासकीय व्यय हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—पांच भाग—1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0—610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15.12.2008 के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय और निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर विभाग को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किन्हीं कारणों से पुनः लागत पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

3—अनुमोदित योजना/निर्माण के कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के कियान्वयन की प्रगति की समय—समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यो की लागत एवं समय वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाये, सुनिश्चित किया जाय।

4—उक्त के सम्बन्ध में होने वाला आय व्यय वर्ष 2017—18 के विभागीय अनुदान संख्या—12 के लेखाशीर्षक 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—110 अस्पताल तथा औषधालय—14—आवासीय भवनों की व्यवस्था—24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0—143(P)/XXVII(3)/2017—18 दिनांक...24.जनवरी, 2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक—अलॉटमेन्ट आई डी0— **S1801120394**

भवदीय,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव

C:\Users\medical5\Desktop\2017-18\General\Letter.doc

संख्या– 68 (1)/XXVIII–5–2018–20/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, महालेखाकार भवन,कौलागढ,देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून।
3. कमिश्नर,कुमाऊँ मण्डल,नैनीताल।
4. जिलाधिकारी,ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
7. परियोजना प्रबन्धक,निर्माण इकाई,उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऊधमसिंहनगर।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन विभाग,उत्तराखण्ड शासन/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव

C:\Users\medical5\Desktop\2017-18\General\Letter.doc